

**बिहार लोक सेवा आयोग,**  
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

**वि.सं. - 64/2014 के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना**


बिहार सरकार के अंतर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में श्रम एवं समाज कल्याण विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं.- 64/2014 के अन्तर्गत अर्हित/अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से अपनी अनर्हता पर आपत्ति होने के स्थिति में दिनांक 06.09.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरांत मात्र एक उम्मीदवार को अनर्हित से पूर्णतः औपबंधिक रूप से अर्हित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र. सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	मुस्तफा नवाज	64010222	अनर्हित	औपबंधिक रूप से अर्हित

2. शेष निम्नलिखित उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए पुनः अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है:-

64010022	64010049	64010080	64010216	64010233	64010258	64010321
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण हुए हैं, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil Without UGC Regulation 2009 माना जाएगा एवं तदनुसार उनके अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायगी।
4. औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अर्हता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

  
21.10.19  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।